

## उपायुक्त का कार्यालय, गढ़वा।

(जिला नजारत शाखा)

नीलामी सूचना संख्या-02/2019

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि गढ़वा समाहरणालय अन्तर्गत अंतिम रूप से " जो जहाँ जिस स्थिति में है" के आधार पर निम्नलिखित कबाड़ वाहनों की नीलामी खुली डाक द्वारा दिनांक 30.07.2019 को 03:00 बजे अपराह्न अपर समाहर्ता के प्रकोष्ठ में की जायेगी -

क्र०	वाहन का प्रकार	निबंधन सं०	निर्धारित न्यूनतम स्क्रैप मूल्य	क्र०	वाहन का प्रकार	निबंधन सं०	निर्धारित न्यूनतम स्क्रैप मूल्य
1	जिप्सी	BR15C0216	25000	6	टाटा स्पेशियो	chechis NO. 421055HXZ914781	37000
2	अम्बेसडर कार	BR15-7777	16000	7	जिप्सी	उपलब्ध नहीं है।	20000
3	जिप्सी	JH14A0573	35000	8	जिप्सी	उपलब्ध नहीं है।	20000
4	अम्बेसडर कार	JH14A2200	20000	9	एम्बुलेंस	BR15P0080	45000
5	जिप्सी	BR15P0220	25000	10	टाटा स्पेशियो	JH14A1915	55000

अन्य सूचनाएं एवं शर्त निम्नांकित हैं:-

1. डाक वक्ता जितने वाहनों की नीलामी में भाग लेना चाहते हैं, उस अनुरूप जमानत की राशि के रूप में 5000/- (पाँच हजार) रूपये का प्रति वाहन की दर से कुल राशि का एक बैंक ड्रॉफ्ट उपायुक्त, गढ़वा के पदनाम से जिला नजारत शाखा में दिनांक 30.07.2019 को अपराह्न 01:00 बजे तक जमा करना होगा, तभी वे डाक में भाग ले सकते हैं।
2. असफल डाक वक्ता को जमानत की राशि वापस कर दी जायेगी एवं सफल डाक वक्ता के जमानत की राशि उसके डाक राशि में समायोजित कर ली जायेगी। सभी डाक वक्ता चाहे तो डाक से पहले सभी कबाड़ वाहनों की अवस्था देख सकते हैं।
3. सफल डाक वक्ता को डाक की राशि का 50 प्रतिशत 24 घंटे में जिला नजारत शाखा में जमा करना होगा। शेष राशि एक सप्ताह के अन्दर जमा कर वाहन उठा लेना होगा। अन्यथा बैंक ड्रॉफ्ट/50% राशि जब्त करते हुए सफल डाक वक्ता का दावा निरस्त समझा जायेगा।
4. निर्धारित न्यूनतम स्क्रैप मूल्य से कम राशि पर वाहन की नीलामी नहीं की जायेगी।
5. नीलामी रद्द करने एवं किसी भी डाक बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

ह

उपायुक्त,  
गढ़वा।

ज्ञापांक.....309...../नजा0, दिनांक...11.07.19  
प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, गढ़वा/एन.आई.सी. पदाधिकारी, गढ़वा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/7/19

उपायुक्त,  
गढ़वा।